

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 01-10-2026

विषय सूची

हरित ऊर्जा गलियारा योजना — अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली के विकास हेतु

समुद्र-स्तर वृद्धि पर पहली बार संयुक्त राष्ट्र घोषणा और भारत की तटीय भेद्यता

भारत में निवेश पारिस्थितिकी तंत्र

दक्षिण-पश्चिम मानसून 12% की कमी के साथ समाप्त

अमेरिका-भारत ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की

रक्षा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सीमाएँ

संक्षिप्त समाचार

सेंगोल

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण

राज्य और केंद्रीय करों एवं शुल्कों की प्रतिपूर्ति (RoSCTL) योजना

आसियान-भारत समुद्री अभ्यास (AIME-2026)

सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

कॉरपोरेट औसत ईंधन अर्थव्यवस्था (CAFE-3) मानदंडों का तीसरा चरण

‘बीमलाइन फॉर स्कूल्स’ प्रतियोगिता

बॉन्ड प्रतिफल

हरित ऊर्जा गलियारा योजना — अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली के विकास हेतु

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हरित ऊर्जा गलियारा चरण-III (GEC-III) योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य भारत की राज्य के भीतर की पारेषण प्रणाली (InSTS) को मजबूत करना और राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में 135 गीगावाट तक नवीकरणीय ऊर्जा के निकासी को सुगम बनाना है।

हरित ऊर्जा गलियारा चरण-III (GEC-III) योजना

- इस योजना को वित्त वर्ष 2032-33 तक स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी कुल परियोजना लागत ₹1,86,405 करोड़ है।
- इसमें GEC-III के अंतर्गत राज्य के भीतर की पारेषण प्रणालियों (InSTS) के विकास के लिए ₹1,36,378 करोड़ तथा 50 GWh बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (BESS) के लिए ₹50,000 करोड़ शामिल हैं।
- यह भारत की राज्य के भीतर की पारेषण प्रणाली (InSTS) को मजबूत करेगी, जिससे राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 135 गीगावाट (GW) तक नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी संभव हो सकेगी।

प्रमुख विशेषताएँ

- यह 50 GWh बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (BESS) की स्थापना का प्रावधान करती है। इन्हें नवीकरणीय ऊर्जा (RE) विकासकर्ता/उत्पादक के स्तर पर या ग्रिड की लचीलेपन की आवश्यकता वाले किसी अन्य महत्वपूर्ण स्थान पर स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा की अनिश्चयता, ग्रिड में भीड़, अधिकतम मांग के समय बिजली कटौती तथा सौर ऊर्जा उपलब्ध न होने वाले घंटों की मांग से निपटना है।
- यह भारत के राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के भीतर ग्रिड एकीकरण और विद्युत निकासी को सुगम बनाएगी।
- इसमें ₹54,082 करोड़ की केंद्रीय वित्तीय सहायता शामिल है, जो राज्य के भीतर के पारेषण शुल्क के भार को कम करने में मदद करेगी और अंतिम उपभोक्ताओं के लिए बिजली की लागत को कम रखने में सहायक होगी।
- InSTS घटक के अंतर्गत सभी ग्रीनफील्ड परियोजनाओं को टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (TBCB) के माध्यम से लागू किया जाएगा।
- ब्राउनफील्ड उन्नयन और नेटवर्क सुदृढीकरण कार्यों को लागत-प्लस आधार (CPB) पर निष्पादित किया जाएगा।

- राज्य पारेषण उपयोगिताएँ समग्र कार्यान्वयन एजेंसी होंगी, जबकि पारेषण सेवा प्रदाता (TSPs) निर्माण-स्वामित्व-संचालन-रखरखाव (BOOM) मॉडल के तहत TBCB में भाग लेंगे।

प्रगति

- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) राज्य के भीतर पारेषण (InSTS) और अंतरराज्यीय पारेषण (ISTS) नेटवर्क के माध्यम से पारेषण लाइनों और रूपांतरण क्षमता को बढ़ाने के लिए हरित ऊर्जा गलियारा (GEC) को दो चरणों में लागू कर रहा है।
- हालांकि, एक संसदीय समिति पहले योजना के कार्यान्वयन में देरी को चिन्हित कर चुकी है।
- सरकारी आंकड़ों के अनुसार, GEC चरण-I, जिसे आठ राज्यों — आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु — में लागू किया जा रहा है, के तहत 30 जून तक 9,130 सर्किट किलोमीटर (ckm) पारेषण लाइनों का निर्माण किया जा चुका था, जबकि लक्ष्य 9,461 ckm का था।
- GEC चरण-II, जिसे सात राज्यों — गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश — में लागू किया जा रहा है, के तहत 7,863 ckm पारेषण लाइनों और 24,388 MVA उपकेंद्र क्षमता को जोड़ने का लक्ष्य है।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** हरित ऊर्जा गलियारा 2035 तक 900 GW स्थापित गैर-जीवाश्म क्षमता प्राप्त करने के लक्ष्य में सहायता करेगा।
- इससे कार्बन उत्सर्जन को कम करके दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा में योगदान देने और सतत विकास को बढ़ावा देने की भी उम्मीद है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और ग्रिड लचीलापन:** यह गलियारा राज्य की सीमाओं पर मौजूद बाधाओं से निपटने के लिए राज्य के भीतर पारेषण प्रणाली को मजबूत करता है और दूरस्थ सौर एवं पवन ऊर्जा स्रोतों से स्थानीय वितरण ग्रिड तक बिजली के सुचारु प्रवाह को सक्षम बनाता है।
- **प्रणाली स्थिरता और भंडारण:** 50 GWh बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ (BESS) अधिकतम उत्पादन के समय अतिरिक्त ऊर्जा का भंडारण करेंगी और अधिक मांग के समय उसे उपलब्ध कराएंगी।
- यह नवीकरणीय ऊर्जा की अनिश्चयता, पारेषण में भीड़ और अधिकतम मांग के समय बिजली कटौती से संबंधित चुनौतियों से निपटने में मदद करेगा तथा सौर ऊर्जा उपलब्ध न होने वाले घंटों में बिजली की मांग को पूरा करने में सहायता करेगा।

- **उपभोक्ताओं की बिजली दरों में कमी:** राज्य पारेषण उपयोगिताओं की पूंजीगत लागत को कम करने के लिए ₹54,082 करोड़ की केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) जारी की गई है, जिससे उपभोक्ताओं के लिए खुदरा बिजली लागत कम होगी।
- **निजी क्षेत्र की दक्षता:** ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (TBCB) के अंतर्गत निर्माण-स्वामित्व-संचालन-रखरखाव (BOOM) मॉडल ऊर्जा अवसंरचना के निर्माण में निजी क्षेत्र से पारदर्शिता, लागत अनुकूलन और नवाचार लाता है।
- **सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ:** उच्च-वोल्टेज पारेषण लाइनों, उपकेंद्रों और BESS परिसरों का निर्माण बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्रदान करेगा तथा भारत को शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में आगे बढ़ाने में गति प्रदान करेगा।

चुनौतियाँ

- **भूमि अधिग्रहण संबंधी मुद्दे:** प्रशासनिक देरी और कृषि एवं वन भूमि पर विद्युत लाइनों के निर्माण के प्रति स्थानीय अनिच्छा के कारण लागत और समय में अत्यधिक वृद्धि का महत्वपूर्ण जोखिम।
- **वितरण कंपनियों (DISCOMs) की वित्तीय कमजोरी:** राज्य विद्युत वितरण कंपनियाँ (DISCOMs) वित्तीय रूप से कमजोर हैं और केंद्रीय सब्सिडी के बावजूद पारेषण सेवा प्रदाताओं (TSPs) को भुगतान में देरी कर सकती हैं।
- **आपूर्ति श्रृंखला संबंधी बाधाएँ:** नेटवर्क और बैटरी भंडारण की तैनाती के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों (लिथियम, कोबाल्ट) तथा विशेष विद्युत उपकरणों की आपूर्ति श्रृंखलाएँ अत्यधिक अस्थिर हैं और अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला संबंधी जोखिमों के अधीन हैं।
- **तकनीकी और एकीकरण संबंधी मुद्दे:** स्मार्ट-ग्रिड प्रौद्योगिकियों, उन्नत पूर्वानुमान एवं विद्युत प्रेषण प्रौद्योगिकी तथा कुशल कर्मचारियों के बिना बड़ी मात्रा में अनिंतर नवीकरणीय ऊर्जा को मौजूदा अवसंरचना में एकीकृत नहीं किया जा सकता।

निष्कर्ष

- हरित ऊर्जा गलियारा चरण-III (GEC-III) भारत की ऊर्जा सुरक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह 135 GW नवीकरणीय ऊर्जा निकासी क्षमता को 50 GWh बैटरी भंडारण के साथ जोड़ता है, जिससे पारेषण संबंधी बाधाओं और नवीकरणीय ऊर्जा की अनिंतरता को कम करने के साथ-साथ ग्रिड के लचीलेपन और विश्वसनीयता में वृद्धि होगी।

- इसकी सफलता समयबद्ध कार्यान्वयन, भूमि के उचित प्रबंधन, राज्य विद्युत उपयोगिताओं में सुधार, स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला की क्षमता, प्रौद्योगिकी की तैयारी और केंद्र-राज्य समन्वय पर निर्भर करती है।
- इन चुनौतियों का समाधान करके, GEC-III भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता, सतत विकास और दीर्घकालिक कार्बन उत्सर्जन में कमी के अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा।

स्रोत:TH

समुद्र-स्तर वृद्धि पर पहली बार संयुक्त राष्ट्र घोषणा और भारत की तटीय भेद्यता

सन्दर्भ

- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने समुद्र-स्तर वृद्धि पर पहली बार संयुक्त राष्ट्र घोषणा को अपनाया है, जिसमें समुद्र-स्तर में वृद्धि को अस्तित्व के लिए खतरा माना गया है।

वैश्विक समुद्र-स्तर वृद्धि की स्थिति

- समुद्र-स्तर वृद्धि का अर्थ भूमि पर किसी संदर्भ बिंदु या पृथ्वी की भू-केंद्रित संदर्भ प्रणाली के सापेक्ष समुद्र की सतह की औसत ऊँचाई में वृद्धि से है।
- निचले स्तर पर स्थित द्वीपीय राष्ट्र विशेष रूप से संवेदनशील हैं, क्योंकि उनकी अधिकांश भूमि समुद्र-स्तर से केवल कुछ मीटर ऊपर है। इससे वे तटीय कटाव, बाढ़, खारे पानी के प्रवेश और रहने योग्य भूमि के नुकसान के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं।
- 2015 में, निचले स्तर पर स्थित किरिबाती गणराज्य ने कहा था कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव एक राष्ट्र के रूप में उसके अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं।
- वैश्विक औसत समुद्र-स्तर में बढ़ोतरी की दर लगातार तेज हो रही है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के अनुसार, यह दर 1993-2002 के दौरान 2.1 मिमी प्रति वर्ष से बढ़कर 2015-2024 के दौरान 4.7 मिमी प्रति वर्ष हो गई।

वैश्विक औसत समुद्र-स्तर

- वैश्विक औसत समुद्र-स्तर समुद्र की सतह की औसत ऊँचाई है।
- इसे उपग्रहों द्वारा रडार अल्टीमीटर का उपयोग करके मापा जाता है, जो समुद्र की सतह की ऊँचाई को मापते हैं।
- वैश्विक तटरेखाओं के साथ स्थित ज्वार-मापी यंत्रों का उपयोग भी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से वैश्विक औसत समुद्र-स्तर को मापने के लिए किया जाता रहा है।

समुद्र-स्तर वृद्धि के प्रमुख कारण

- वैश्विक तापन के कारण हिमनदों — बर्फ और बर्फ की उस संचित मात्रा को हिमनद कहा जाता है जो भूमि के ऊपर धीरे-धीरे प्रवाहित होती है — और हिम-चादरों — ऐसे हिमनद जो 50,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक भूमि को ढकते हैं — का पिघलना।
- समुद्री जल का तापीय प्रसार, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें गर्म होने पर पानी फैलता है।
- वैश्विक तापमान बढ़ने के साथ महासागर अधिक गर्म हो रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप जल का आयतन भी बढ़ रहा है।
- राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन (NASA) के अनुसार, समुद्री जल का तापीय प्रसार वैश्विक समुद्र-स्तर वृद्धि के एक-तिहाई से आधे हिस्से के लिए जिम्मेदार है।
- भूमि पर जल भंडारण में उतार-चढ़ाव: वैश्विक समुद्र-स्तर जलाशयों में जल भंडारण और भूजल के निष्कर्षण से भी प्रभावित होता है।

प्रभाव

- समुद्र-स्तर में वृद्धि: लहरें और तूफानी ज्वार अधिक दूर तक अंतर्देशीय क्षेत्रों में पहुँच सकते हैं, जिससे तटरेखाओं का कटाव तेज होता है और आवासों, सड़कों, बंदरगाहों तथा अन्य अवसंरचनाओं को नुकसान पहुँचता है।
- खारे पानी का प्रवेश: समुद्री जल का तटीय जलभृतों और कृषि भूमि में प्रवेश होने से मीठे पानी की उपलब्धता कम हो सकती है और कृषि उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है।
- तटीय पारिस्थितिकी तंत्र पर खतरा: बढ़ता समुद्र-स्तर, गर्म होता जल और लवणता में परिवर्तन प्रवाल भित्तियों, मैंग्रोव वनों, ज्वारीय दलदली क्षेत्रों और ज्वारनदमुखों के लिए तेजी से खतरा पैदा कर रहे हैं।
- विस्थापन और प्रवासन: उपयोग योग्य भूमि की कमी के कारण समुदायों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, जिससे आजीविका, भूमि अधिकार, नागरिकता और मानवाधिकार संबंधी चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।

समुद्र-स्तर वृद्धि पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा

- समुद्र-स्तर वृद्धि पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा, जिसे 2026 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से अपनाया, पहली संयुक्त राष्ट्र-व्यापी राजनीतिक रूपरेखा है, जो विशेष रूप से बढ़ते समुद्र-स्तर के कानूनी, मानवीय और विकासात्मक परिणामों को संबोधित करती है।
- पृष्ठभूमि: समुद्र-स्तर वृद्धि पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा की प्रक्रिया 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के निर्णय 78/558 के साथ शुरू हुई, जिसमें इस मुद्दे पर एक उच्च-स्तरीय बैठक और सर्वसम्मति से बातचीत के माध्यम से कार्रवाई-उन्मुख घोषणा का आह्वान किया गया था।

- इसके बाद 2026 की उच्च-स्तरीय बैठक हुई, जिसके परिणामस्वरूप घोषणा को अपनाया गया।
- वर्तमान में लगभग 90 करोड़ लोग निचले स्तर वाले तटीय क्षेत्रों में रहते हैं, जबकि 2050 तक एक अरब से अधिक लोग तटीय खतरों का सामना कर सकते हैं। यह चुनौती के व्यापक स्तर को दर्शाता है।

क्या कोई देश अपना क्षेत्र खोने के बावजूद राज्य का दर्जा बनाए रख सकता है?

वर्ष 1933 के मॉंटेवीडियो अभिसमय के तहत किसी राज्य को चार प्रमुख मानदंडों के आधार पर परिभाषित किया जाता है:

- स्थायी जनसंख्या,
- निश्चित क्षेत्र,
- सरकार, और
- अन्य राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता।
- हालांकि, ये मानदंड किसी मौजूदा राज्य की निरंतरता को पूरी तरह संबोधित नहीं करते, यदि समुद्र-स्तर वृद्धि के कारण उसका क्षेत्र रहने योग्य न रहे या जलमग्न हो जाए।
- अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग (ILC) ने अपनी 2025 की रिपोर्ट में राज्य का दर्जा बनाए रखने के कानूनी आधार को मान्यता दी, जिसमें क्षेत्रीय अखंडता, आत्मनिर्णय, संप्रभु समानता और कानूनी स्थिरता के सिद्धांतों का आधार लिया गया।
- वर्ष 2026 की समुद्र-स्तर वृद्धि पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा राज्य के निरंतर अस्तित्व की धारणा की पुष्टि करती है। इसका अर्थ है कि समुद्र-स्तर वृद्धि के कारण क्षेत्र का नुकसान स्वतः राज्य का दर्जा समाप्त नहीं करता।

भारत के लिए निहितार्थ

- भारत ने समुद्र-स्तर वृद्धि पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा का स्वागत किया और स्थिर समुद्री क्षेत्रों तथा राज्य के दर्जे की निरंतरता का समर्थन किया, साथ ही साझी लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं (CBDR-RC) की अवधारणा को बनाए रखा।
- बढ़ते समुद्र-स्तर की स्थिति में समुद्री सीमाओं का निर्धारण भारत और संवेदनशील द्वीपीय राज्यों के प्रादेशिक समुद्र को संरक्षित करता है।
- यह FIPIC (2014) और इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स (IRIS) कार्यक्रम (2021) के माध्यम से प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ भारत की ऐतिहासिक भागीदारी को भी मजबूत करता है।
- बड़ी और संवेदनशील तटरेखा: भारत की तटरेखा लगभग 11,098 किमी है, साथ ही इसके अनेक अपतटीय द्वीप भी हैं।

- इसकी तटीय भौगोलिक संरचना में घनी आबादी वाले शहरी और औद्योगिक केंद्र, डेल्टा, ज्वारनदमुख, मैंग्रोव, समुद्र तट और निचले स्तर वाले द्वीप शामिल हैं।
- द्वीपीय क्षेत्रों का महत्व:** अरब सागर में लक्षद्वीप तथा बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत की समुद्री उपस्थिति और प्रभाव का विस्तार करते हैं।
- इसलिए समुद्री सीमाओं की स्थिरता का भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ), समुद्री संसाधनों और रणनीतिक हितों पर प्रभाव पड़ता है।
- मानवीय विस्थापन:** सुंदरबन समुद्र-स्तर वृद्धि, तटीय कटाव, चक्रवात, लवणता और मानवीय विस्थापन के बीच संबंध को दर्शाता है।
- घोरामारा जैसे द्वीपों में भूमि का काफी नुकसान हुआ है, जबकि लोहाराचारा के लुप्त होने से पता चलता है कि कटाव और जलमग्नता किस प्रकार आबाद भू-दृश्यों को स्थायी रूप से बदल सकती है।

भारत में नीतिगत रूपरेखा

- तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 2019: यह भारत के तटीय क्षेत्रों में विकास गतिविधियों को विनियमित करती है।
- इसका उद्देश्य तटीय संरक्षण, आजीविका संबंधी आवश्यकताओं और विनियमित विकास के बीच संतुलन स्थापित करना है।
- तटीय राज्य और केंद्रशासित प्रदेश तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाएँ (CZMPs) तैयार करते हैं, ताकि तटीय भेद्यता और पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार विकास को विनियमित किया जा सके।
- भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने तटीय खतरा रेखा तैयार की है, जिसमें तटरेखा में परिवर्तन और समुद्र-स्तर वृद्धि जैसे कारकों को शामिल किया गया है।
- अंतरराष्ट्रीय सहभागिता: भारत ने 2021 में ग्लासगो में आयोजित COP26 में लचीले द्वीपीय राज्यों के लिए अवसंरचना (IRIS) पहल शुरू की।
- इसका उद्देश्य लघु द्वीपीय विकासशील राज्यों को जलवायु-लचीली अवसंरचना विकसित करने में सहायता प्रदान करना है।

आगे की राह

- समुद्र-स्तर वृद्धि अब केवल पर्यावरणीय चुनौती नहीं रह गई है; यह तेजी से मानव सुरक्षा, क्षेत्रीय अखंडता, अंतरराष्ट्रीय कानून और आर्थिक लचीलेपन का प्रश्न बनती जा रही है।
- भारत के लिए प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि वह इस अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता को जोखिम-संवेदनशील तटीय नियोजन, लचीली अवसंरचना, पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्स्थापन, संवेदनशील समुदायों की सुरक्षा और जलवायु-प्रेरित विस्थापन के लिए एक विश्वसनीय रूपरेखा में परिवर्तित करे।

स्रोत: IE

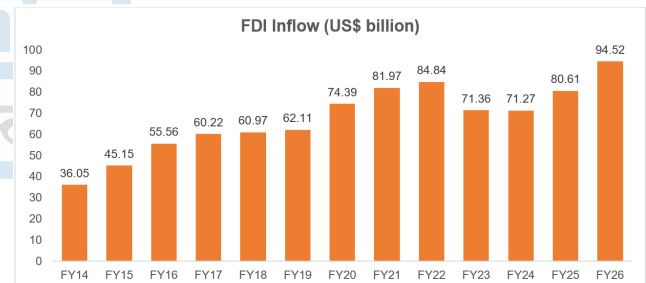
भारत में निवेश पारिस्थितिकी तंत्र

सन्दर्भ

- अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा भारत के निवेश माहौल के हालिया आकलन में कई ऐसे मुद्दों की पहचान की गई है, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आकर्षित करने की देश की क्षमता को प्रभावित करते हैं।

भारत में विदेशी निवेश की स्थिति

- भारत में कुल FDI प्रवाह वित्त वर्ष 2025-26 में 94.53 अरब अमेरिकी डॉलर के नए उच्च स्तर पर पहुँच गया, जो वित्त वर्ष 2024-25 के 80.62 अरब अमेरिकी डॉलर की तुलना में 17% अधिक है। इसमें इक्विटी प्रवाह, पुनर्निवेशित आय और अन्य पूंजी शामिल हैं।
- वित्त वर्ष 2025-26 में FDI इक्विटी प्रवाह 58.85 अरब अमेरिकी डॉलर रहा।
- वित्त वर्ष 2025-26 में पुनर्निवेशित आय बढ़कर 25.56 अरब अमेरिकी डॉलर हो गई।
- कुल मिलाकर, अप्रैल 2000 से मार्च 2026 के बीच भारत ने 1.166 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का कुल FDI प्रवाह आकर्षित किया।



Source: Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT)

भारत के निवेश माहौल की प्रमुख ताकतें

- बड़ा घरेलू बाजार:** भारत की विशाल जनसंख्या, बढ़ती खपत और अवसंरचना की बढ़ती आवश्यकता विदेशी निवेशकों के लिए बाजार विस्तार की पर्याप्त संभावनाएँ प्रदान करती हैं।
- समृद्ध आर्थिक आधार:** भारत की अपेक्षाकृत मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ती घरेलू मांग और अवसंरचना में जारी निवेश इसे एक निवेश गंतव्य के रूप में आकर्षक बनाते हैं।
- जनसांख्यिकीय लाभांश:** कामकाजी आयु वर्ग की बड़ी आबादी, बढ़ता तकनीकी कार्यबल और योग्य पेशेवरों का विस्तारित समूह श्रम-प्रधान तथा प्रौद्योगिकी-प्रधान निवेश के अवसर प्रदान करता है।
- डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना:** आधार, यूपीआई और खाता एग्रीगेटर ढाँचे जैसे मंचों ने डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नए व्यवसाय मॉडल के उद्भव को सुगम बनाया है।

- **रणनीतिक भौगोलिक स्थिति:** भारत का हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थित होना तथा प्रमुख उभरते बाजारों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के निकट होना अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए अवसर प्रदान करता है।

भारत में प्रमुख निवेश बाधाएँ

- **एफडीआई पर क्षेत्रीय प्रतिबंध:** भारत अधिकांश क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति देता है। हालांकि, कुछ क्षेत्र अभी भी सरकारी मंजूरी या क्षेत्र-विशिष्ट प्रतिबंधों के अधीन हैं।
- रिपोर्ट में बहु-ब्रांड खुदरा व्यापार, निजी बैंकिंग, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा, प्रिंट एवं डिजिटल मीडिया और उपग्रहों जैसे क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले प्रतिबंधों को रेखांकित किया गया है।
- एफडीआई और एफपीआई पर एक साथ निवेश संबंधी प्रतिबंध: विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) की रूपरेखा एक ही कंपनी में कुछ परिस्थितियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) को एक साथ करने पर प्रतिबंध लगाती है।
- रिपोर्ट के अनुसार, ये प्रतिबंध अतिरिक्त अनुपालन संबंधी बोझ पैदा करते हैं, विशेष रूप से उन बड़े निवेश समूहों के लिए जो कई निधियों का प्रबंधन करते हैं।
- आयात प्रबंधन संबंधी प्रतिबंध: भारत की आयात प्रबंधन प्रणाली (IMS), जिसे 2023 में शुरू किया गया और बाद में विस्तारित किया गया, कुछ उत्पादों के आयात को प्राधिकरण संबंधी आवश्यकताओं और आयात सीमाओं के माध्यम से विनियमित करती है।
- **विदेशी बैंकों पर अधिक कर भार:** रिपोर्ट ने भारत में विदेशी और घरेलू बैंकों के बीच प्रभावी कर भार में अंतर को रेखांकित किया।
- इसमें कहा गया कि विदेशी बैंकों पर 38.22% की प्रभावी कर दर लागू होती है, जो घरेलू बैंकों की तुलना में 4.63 प्रतिशत अंक अधिक है।
- **भ्रष्टाचार संबंधी चिंताएँ:** अमेरिकी व्यवसायों ने वास्तविक और कथित भ्रष्टाचार, विशेष रूप से नियामक प्रणालियों में, को भारत में निवेश के लिए एक बाधा के रूप में चिन्हित किया है।

विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की पहल

- **उदारीकृत एफडीआई नीति:** भारत ने विदेशी निवेश को सुगम बनाने के लिए अपनी एफडीआई व्यवस्था को लगातार उदार बनाया है और कई क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति दी है।
- **कारोबार सुगमता संबंधी सुधार**
 - **व्यवसाय सुधार कार्य योजना (BRAP):** यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को व्यावसायिक नियामक सुधार

लागू करने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

- **राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (NSWS):** वर्ष 2021 में शुरू की गई यह एकीकृत डिजिटल व्यवस्था है, जिसके माध्यम से निवेशक विभिन्न नियामक स्वीकृतियों की पहचान, आवेदन और उनकी स्थिति की निगरानी कर सकते हैं।
- **विनिर्माण और निवेश संवर्धन:**
 - **मेक इन इंडिया:** इस पहल का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, विदेशी निवेश आकर्षित करना, तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाना और भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करना है।
 - **उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना:** यह योजना चयनित क्षेत्रों में पात्र विनिर्माताओं को प्रोत्साहन प्रदान करती है, ताकि घरेलू उत्पादन बढ़ाया जा सके, निवेश आकर्षित किया जा सके और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार किया जा सके।
 - **पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान:** यह बहु-माध्यम संपर्क में सुधार और रसद संबंधी अक्षमताओं को कम करने के लिए भू-स्थानिक डिजिटल मंच के माध्यम से एकीकृत अवसंरचना नियोजन को बढ़ावा देता है।
- **वित्तीय और कर सुधार:**
 - **वस्तु एवं सेवा कर (GST):** जीएसटी ने कई अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था से प्रतिस्थापित किया है।
 - **दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016:** यह समयबद्ध दिवाला समाधान की रूपरेखा प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य ऋण अनुशासन में सुधार करना और पूंजी के पुनः आवंटन को सुगम बनाना है।
 - **डिजिटल शासन और भ्रष्टाचार-रोधी उपाय:** सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM), ई-खरीद और सार्वजनिक सेवाओं की डिजिटल उपलब्धता जैसी पहलें विवेकाधीन निर्णय लेने को कम करने और पारदर्शिता में सुधार करने का प्रयास करती हैं।

आगे की राह

- भारत को दीर्घकालिक निवेशकों के लिए अनिश्चितता को दूर करने हेतु स्पष्ट दिशानिर्देश, पर्याप्त संक्रमण अवधि और कानूनों का सुसंगत अनुप्रयोग सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
- डिजिटल अनुमतियों, खुली खरीद प्रक्रिया, वस्तुनिष्ठ निरीक्षण प्रणालियों और प्रभावी शिकायत निवारण के अधिक उपयोग से विवेकाधीन शक्तियों को सीमित किया जा सकता है।

- राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखते हुए उत्पादक निवेश पर अनावश्यक बाधाएँ न डालने के लिए निवेश संबंधी सीमाएँ पारदर्शी, उपयुक्त और समय-समय पर समीक्षा के अधीन होनी चाहिए।

स्रोत: IE

दक्षिण-पश्चिम मानसून 12% की कमी के साथ समाप्त

सन्दर्भ

- भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, भारत में 2026 का दक्षिण-पश्चिम मानसून 759.4 मिमी वर्षा के साथ समाप्त हुआ, जो 868.6 मिमी के सामान्य स्तर से 12.6% कम है।

परिचय

- यह 2015 के बाद मानसून के दौरान दर्ज की गई सबसे कम वर्षा है।
- पूर्व और पूर्वोत्तर क्षेत्र, जहाँ 1,017.1 मिमी वर्षा दर्ज की गई, में 1901 के बाद सबसे शुष्क मानसून रहा।

मौसम

- मानसून भूमि और समुद्र के बीच असमान तापन तथा इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न दाब के अंतर के कारण हवाओं की मौसमी दिशा-परिवर्तन की घटना है।

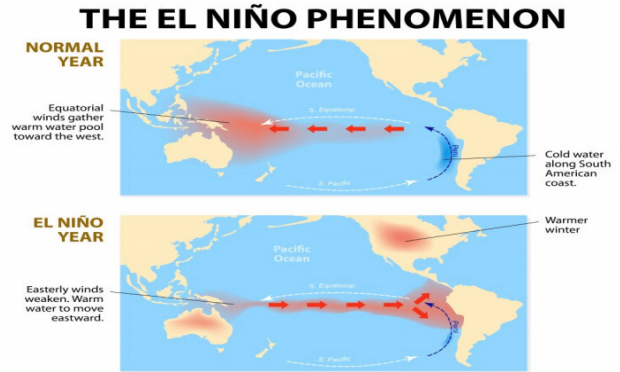
आगमन और वापसी

- भारत में मानसून का मौसम सामान्यतः जून की शुरुआत में शुरू होता है और सितंबर तक रहता है।
- मानसून के आगमन को दक्षिण-पश्चिम मानसूनी हवाओं के आगमन से चिह्नित किया जाता है, जो हिंद महासागर से नमी से भरी हवा लेकर आती हैं।
- मानसून की वापसी या निवर्तन सामान्यतः अक्टूबर में शुरू होती है।
- उत्तर-पूर्वी मानसून, जो अक्टूबर से दिसंबर के दौरान आता है, दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में वर्षा लाता है।
- उत्तर-पूर्वी मानसून तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, कराईकल, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और यानम के लिए महत्वपूर्ण है।
- उत्तर-पूर्वी मानसून को शीतकालीन मानसून, निवर्तित मानसून या प्रतिलोम मानसून के नाम से भी जाना जाता है।

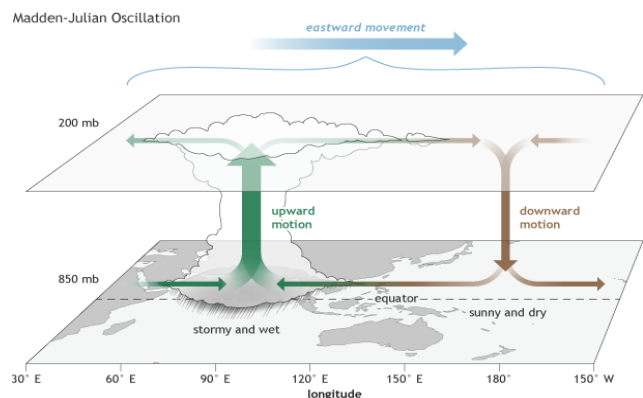
भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक

- एल नीनो:** एल नीनो का स्पेनिश भाषा में अर्थ “छोटा बालक” है। यह एक जलवायु घटना है, जिसकी विशेषता मध्य और पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर के समुद्री सतह के तापमान में आवधिक वृद्धि है।

- एल नीनो के दौरान,** व्यापारिक हवाएँ कमजोर हो जाती हैं और गर्म जल पूर्व की ओर, अमेरिका के पश्चिमी तट की दिशा में वापस धकेल दिया जाता है। इसके परिणामस्वरूप ठंडा जल एशिया की ओर धकेला जाता है।



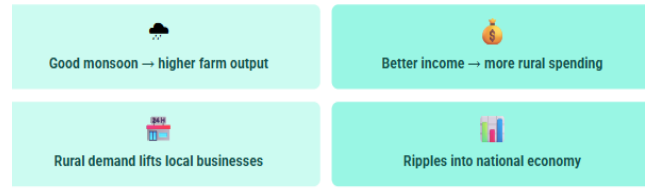
- मौसम के स्वरूप पर एल नीनो का प्रभाव: यह वैश्विक तापमान में वृद्धि करता है, मानसून को कमजोर करता है, जंगलों में आग लगने के जोखिम को बढ़ाता है तथा विशेष रूप से प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में तूफान और चक्रवात जैसी चरम मौसमी घटनाओं को उत्पन्न करता है।
- मैडेन-जूलियन दोलन (MJO): MJO हवाओं, बादलों और वायुदाब की एक गतिशील प्रणाली है, जो भूमध्य रेखा के चारों ओर घूमते हुए वर्षा लाती है। इसकी खोज 1971 में रोलैंड मैडेन और पॉल जूलियन ने की थी।
- यह प्रणाली 4–8 मीटर प्रति सेकंड की गति से पूर्व दिशा में बढ़ती है और सामान्यतः 30–60 दिनों में पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाती है, हालांकि इसमें 90 दिन तक लग सकते हैं।
- जैसे-जैसे यह आगे बढ़ती है, मजबूत MJO गतिविधि अक्सर पृथ्वी को दो भागों में बाँट देती है — एक भाग में MJO सक्रिय चरण में होता है और वर्षा लाता है, जबकि दूसरे भाग में यह वर्षा को दबा देता है।
- सक्रिय MJO चरण के दौरान, इसके प्रभाव वाले क्षेत्रों में औसत से अधिक वर्षा होती है। इसका कारण अक्सर बादल निर्माण, संवहन और चक्रवाती गतिविधि में वृद्धि होता है।



- **पश्चिमी विक्षोभ:** पश्चिमी विक्षोभ एक उष्णकटिबंधीय-बाह्य मौसम प्रणाली है, जो भारत के बाहर उत्पन्न होती है और पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भागों में वर्षा, हिमपात और तूफान लाती है।
- **उत्पत्ति और निर्माण:** पश्चिमी विक्षोभ भूमध्यसागरीय क्षेत्र, काला सागर या कैस्पियन सागर के ऊपर उत्पन्न होते हैं।
- इनका निर्माण तब होता है जब ठंडी ध्रुवीय वायु गर्म, नम वायु के साथ अंतःक्रिया करती है, जिससे निम्न वायुदाब प्रणालियाँ बनती हैं।
- इन प्रणालियों को ऊपरी वायुमंडल में पश्चिमी पवनों, विशेष रूप से उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा, द्वारा पूर्व दिशा में ले जाया जाता है।
- **हिंद महासागर द्विध्रुव:** 1999 में जापान के एन. एच. साजी ने हिंद महासागर में ENSO जैसी एक घटना की खोज की, जिसे उन्होंने हिंद महासागर द्विध्रुव (IOD) नाम दिया।
- ENSO की तरह IOD के भी तीन चरण — धनात्मक, ऋणात्मक और तटस्थ होते हैं। IOD के धनात्मक चरण के दौरान पश्चिमी हिंद महासागर में समुद्री सतह का तापमान अधिक गर्म होता है, जिससे मानसूनी हवाओं को मजबूती मिलती है।
- IOD के ऋणात्मक चरण में इसके विपरीत स्थिति होती है, जबकि IOD के तटस्थ चरण के दौरान कोई तापमान प्रवणता नहीं देखी जाती है।
- **सोमाली जेट:** यह वायु का एक तेजी से गतिशील, अंतर-गोलार्धीय और भूमध्यरेखा-पार प्रवाह है, जिसकी उत्पत्ति दक्षिणी गोलार्ध में मॉरीशस और मेडागास्कर के उत्तरी भाग के निकट होती है।
- ये हवाएँ भूमध्य रेखा को पार करके अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ केन्या, इथियोपिया और सोमालिया से होकर आगे बढ़ती हैं।
- मई के दौरान यह जेट अरब सागर में प्रवेश करता है और जून तक भारत के पश्चिमी तट तक पहुँच जाता है।
- अपने मार्ग में यह महासागर से बड़ी मात्रा में नमी (जलवाष्प) लेकर आता है।
- जब सोमाली जेट अधिक मजबूत होता है, तो यह प्रायद्वीपीय भारत में अधिक भारी और अधिक विश्वसनीय मानसूनी वर्षा लाता है।

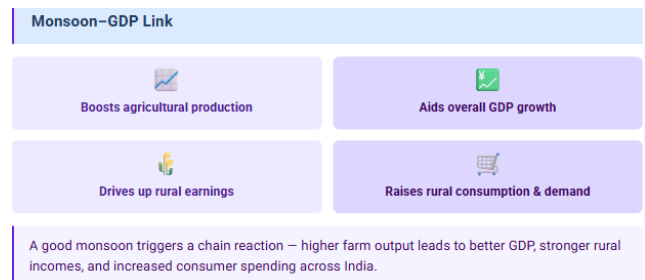
मानसून और भारत का आर्थिक जीवन

- **गुणक प्रभाव:** भारत में कृषि समृद्धि काफी हद तक समय पर और पर्याप्त रूप से वितरित वर्षा पर निर्भर करती है।
- मानसून की सफलता या विफलता राष्ट्रीय स्तर पर आजीविका को सीधे प्रभावित करती है।



- **फसल विविधता का लाभ:** विभिन्न वर्षा क्षेत्रों के कारण भारत में ऐसी विविध प्रकार की फसलों की खेती संभव है, जिसकी तुलना बहुत कम देश कर सकते हैं — यह मानसून के भौगोलिक विस्तार का प्रत्यक्ष परिणाम है।

आर्थिक विकास:



निष्कर्ष

- भारतीय मानसून केवल एक महत्वपूर्ण भौगोलिक घटना नहीं है, बल्कि इसका बहुत अधिक आर्थिक महत्व भी है।
- भारत में लगभग 64% लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं, और कृषि स्वयं दक्षिण-पश्चिम मानसून पर निर्भर है।
- अच्छा मानसून कृषि उत्पादन में वृद्धि करता है, सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि में सहायता करता है तथा ग्रामीण आय और उपभोग को बढ़ाता है। इसलिए इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा कहा जाता है।

स्रोत: TH

अमेरिका-भारत ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की

सन्दर्भ

- प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए निकट संपर्क बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की।

परिचय

- दोनों नेताओं के बीच यह पहली फोन बातचीत थी, जब से अमेरिका ने उस कानून पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत रूसी ऊर्जा का आयात करने वाले भारत, चीन और अन्य देशों पर 100% तक शुल्क लगाने की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।

- दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की।

भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों का अवलोकन

- भारत की स्वतंत्रता के बाद से भारत-अमेरिका संबंधों ने शीत युद्ध के दौर के अविश्वास और भारत के परमाणु कार्यक्रम को लेकर उत्पन्न दूरी का सामना किया है।
- हाल के वर्षों में संबंधों में सुधार हुआ है और आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों की विस्तृत शृंखला में सहयोग मजबूत हुआ है।
- **द्विपक्षीय व्यापार:** द्विपक्षीय व्यापार का नया लक्ष्य “मिशन 500” है, जिसका उद्देश्य 2030 तक कुल द्विपक्षीय व्यापार को दोगुने से अधिक बढ़ाकर 500 अरब डॉलर करना है। भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों के लिए “मिशन 500” पहल आधिकारिक रूप से शुरू की गई है।
- वर्ष 2025-26 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था, दोनों देशों के बीच वस्तु व्यापार 132.2 अरब डॉलर रहा, जिसमें भारत का निर्यात 86.51 अरब डॉलर और आयात 45.62 अरब डॉलर था।
- वर्तमान में चीन सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसके बाद अमेरिका है।
- **रक्षा और सुरक्षा:** संवाद तंत्र के शीर्ष स्तर पर 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद है, जिसकी सह-अध्यक्षता भारत की ओर से विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री तथा अमेरिका की ओर से उनके समकक्ष करते हैं। यह तंत्र राजनीतिक, सैन्य और रणनीतिक मुद्दों पर मार्गदर्शन प्रदान करता है।

भारत और अमेरिका ने गहन सैन्य सहयोग के लिए “मौलिक समझौतों” की एक शृंखला पर हस्ताक्षर किए हैं:

- वर्ष 2016 — लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA)
- वर्ष 2018 — कम्युनिकेशंस कम्पैटिबिलिटी एंड सिंक्रोरिटी एग्रीमेंट (COMCASA)
- वर्ष 2020 — बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट (BECA)
- लिमोआ (LEMOA) पर वर्ष 2016 में हस्ताक्षर हुए और उसी वर्ष भारत को अमेरिका ने प्रमुख रक्षा साझेदार का दर्जा दिया।
- वर्ष 2016 में अमेरिका ने भारत को प्रमुख रक्षा साझेदार का दर्जा दिया।

सैन्य अभ्यास:

द्विपक्षीय अभ्यास:

- युद्ध अभ्यास — थल सेना
- वज्र प्रहार — विशेष बल
- मालाबार — नौसेना
- कोप इंडिया — वायु सेना
- टाइगर ट्रायम्फ — तीनों सेनाएँ
- **बहुपक्षीय अभ्यास:** रेड फ्लैग, रिमपैक (RIMPAC), कटलैस एक्सप्रेस, सी ड्रैगन और मिलन ऐसे बहुपक्षीय अभ्यास हैं, जिनमें दोनों देश भाग लेते हैं। भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग में नियमित सैन्य अभ्यास और समुद्री सुरक्षा सहयोग महत्वपूर्ण घटक हैं।
- **अंतरिक्ष:** भारत द्वारा हस्ताक्षरित आर्टेमिस समझौते ने समस्त मानवता के लाभ के लिए भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण हेतु एक साझा दृष्टिकोण स्थापित किया है।
- निसार (NISAR-NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar): इसरो और नासा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित माइक्रोवेव इमेजिंग उपग्रह को वर्ष 2025 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया।
- इसरो और नासा ने वर्ष 2024 में मानव अंतरिक्ष उड़ान में सहयोग के लिए एक रणनीतिक रूपरेखा पर सहयोग किया।
- प्रशिक्षण के बाद, इसरो ने गगनयात्री शुभांशु शुक्ला को संयुक्त इसरो-नासा मिशन (Axiom-4) में ISS के लिए पायलट के रूप में भाग लेने हेतु नामित किया।
- **बहुपक्षीय सहयोग:** भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र, G20, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन सहित बहुपक्षीय संगठनों और मंचों में निकटता से सहयोग करते हैं।
- ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर अमेरिका और भारत क्वाड (Quad) के रूप में एक राजनयिक नेटवर्क का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देना है।
- **परमाणु सहयोग:** नागरिक परमाणु समझौते पर 2005 में हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत भारत ने अपनी नागरिक और सैन्य परमाणु सुविधाओं को अलग करने तथा अपने सभी नागरिक परमाणु संसाधनों को अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के सुरक्षा उपायों के अंतर्गत रखने पर सहमति व्यक्त की।
- इसके बदले, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत के साथ पूर्ण नागरिक परमाणु सहयोग की दिशा में कार्य करने पर सहमति व्यक्त की।

- **नई पहल:** कई नई पहलों की घोषणा की गई है, जैसे भारत में जेट इंजन के निर्माण के लिए GE-HAL समझौता और महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकी पहल (iCET)।
- **प्रवासी भारतीय:** लगभग 54 लाख भारतीय-अमेरिकी/ भारतीय मूल के लोग अमेरिका में रहते हैं।
- भारतीय मूल के लोग अमेरिका में तीसरा सबसे बड़ा एशियाई जातीय समूह हैं।

चिंता के क्षेत्र

व्यापार और आर्थिक विवाद

- विशेष रूप से कृषि, डेयरी उत्पादों, चिकित्सा उपकरणों और डिजिटल सेवाओं के क्षेत्रों में शुल्क और बाजार तक पहुँच को लेकर मतभेद हैं।
- संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत की संरक्षणवादी नीतियों और कुछ उत्पादों पर लगाए गए उच्च आयात शुल्क की आलोचना की है।

भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और रूस के साथ संबंध

- रूस के साथ भारत की दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक प्रमुख चिंता बनी हुई है।
- भारत द्वारा रूस से S-400 वायु रक्षा प्रणाली की खरीद ने अमेरिकी CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) के तहत चिंताएँ उत्पन्न कीं।
- अमेरिका रूस के विरुद्ध अधिक मजबूत सामरिक तालमेल की अपेक्षा करता है, जबकि भारत रणनीतिक स्वायत्तता और बहु-संरक्षण की नीति बनाए रखता है।

वैश्विक भू-राजनीतिक मुद्दों पर मतभेद

- रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे संघर्षों पर भारत ने अक्सर तटस्थ या संतुलित रुख अपनाया है।
- पश्चिम एशिया की नीतियों, ईरान पर प्रतिबंधों और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भी कभी-कभी मतभेद उत्पन्न होते हैं।
- भारत रणनीतिक स्वायत्तता को प्राथमिकता देता है, जबकि अमेरिका अक्सर गठबंधन-आधारित तालमेल की अपेक्षा करता है।

आव्रजन और वीजा प्रतिबंध

- H-1B वीजा नियमों में कड़ाई भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों को प्रभावित करती है।

- वीजा प्रक्रिया में देरी छात्रों, कामगारों और व्यवसायों को प्रभावित करती है।
- अमेरिकी आव्रजन नीतियों में अनिश्चितता भारतीय प्रवासी समुदाय और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए चिंताएँ उत्पन्न करती है।

रक्षा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सीमाएँ

- उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध मौजूद हैं।
- भू-राजनीतिक संकटों के दौरान दीर्घकालिक रक्षा आपूर्ति की विश्वसनीयता को लेकर भारत में चिंताएँ हैं।

पाकिस्तान और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएँ

- यद्यपि शीत युद्ध की अवधि की तुलना में अमेरिका-पाकिस्तान संबंध कमजोर हुए हैं, फिर भी भारत पाकिस्तान को अमेरिकी सैन्य सहायता को लेकर सतर्क रहता है।

अमेरिकी विदेश नीति की अनिश्चितता

- अमेरिकी विदेश नीति में बार-बार होने वाले बदलाव, जैसे व्यापार नीतियों में परिवर्तन, अंतरराष्ट्रीय समझौतों से हटना और प्रतिबंधों से संबंधित दबाव, भारत के लिए अनिश्चितता उत्पन्न करते हैं।

निष्कर्ष

- भारत-अमेरिका संबंधों में मजबूत अभिसरण के साथ-साथ लगातार बने रहने वाले मतभेद भी दिखाई देते हैं।
- जबकि रक्षा, प्रौद्योगिकी, व्यापार और हिंद-प्रशांत सहयोग के क्षेत्रों में साझेदारी काफी गहरी हुई है, वहीं अलग-अलग रणनीतिक प्राथमिकताओं, आर्थिक हितों और भू-राजनीतिक दृष्टिकोणों में अंतर के कारण चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
- निरंतर संवाद, संस्थागत सहयोग और रणनीतिक चिंताओं के प्रति पारस्परिक सम्मान के माध्यम से इन मतभेदों का प्रभावी प्रबंधन द्विपक्षीय संबंधों में दीर्घकालिक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होगा।

स्रोत: TH

संक्षिप्त समाचार

संगोल

चर्चा में क्यों?

नवीन रूप से जारी एनसीआरटी कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक, “अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी एण्ड बियॉन्ड – भाग-2” में संगोल को न्यायपूर्ण शासन के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है।

सेंगोल (या चेंगोल)

- यह एक पारंपरिक तमिल राजदंड है, जो राजतंत्र, धार्मिकता, न्याय और वैध सत्ता का प्रतीक है।



- ऐतिहासिक रूप से यह धर्मपरायण राजसत्ता, राजकीय अधिकार की वैधता तथा शासक की दैवी और नैतिक आदर्शों के प्रति जवाबदेही का प्रतीक रहा है।
- इसे महान चोल साम्राज्य में कर्तव्य, सेवा और राष्ट्रभावना के मार्ग का प्रतीक माना जाता था।
- इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई और यह शासकों का एक औपचारिक राजचिह्न था।
- उदाहरण के लिए, यह मदुरै नायकों के बीच देवी मीनाक्षी से जुड़ा हुआ था और बाद में इसे राजसिंहासन कक्ष में रखा जाने लगा, जो राजा के कार्य और उसके दायित्वों को दर्शाता था।
- रामनाथपुरम के सेतुपति शासकों ने भी राजा बनने पर रामेश्वरम मंदिर के पुजारियों से धार्मिक रूप से पवित्र किया हुआ सेंगोल प्राप्त किया था।
- राजाजी और अधीनमों के संतों के मार्गदर्शन में यह सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बन गया।

NCERT द्वारा वर्णन

- NCERT सेंगोल को न्यायपूर्ण शासन के सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में वर्णित करता है और उल्लेख करता है कि शैव अधीनम के संतों ने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय जवाहरलाल नेहरू को इसे प्रस्तुत किया था, जो ब्रिटिश शासन से एक स्वतंत्र भारतीय राज्य को सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक था।
- यह विवरण संस्कृति मंत्रालय द्वारा सेंगोल के उस वर्णन के अनुरूप है, जिसमें इसे नैतिक रूप से संचालित राजसत्ता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
- राजमोहन गांधी सहित इतिहासकारों ने कहा है कि नेहरू या सी. राजगोपालाचारी के दस्तावेजों और लेखन में ऐसा कोई अभिलेख नहीं मिलता, जो यह प्रमाणित करे कि सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का औपचारिक प्रतीक था।

स्रोत: TH

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण

चर्चा में क्यों?

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने अप्रैल 2024 से मार्च 2025 की संदर्भ अवधि (अर्थात वित्तीय वर्ष 2024-25) के लिए वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (ASI) के परिणाम जारी किए हैं।

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण

- इसका संचालन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा किया जाता है।
- यह देश के सबसे महत्वपूर्ण सर्वेक्षणों में से एक है और औपचारिक विनिर्माण क्षेत्र को शामिल करता है।
- इसका प्रमुख उद्देश्य विभिन्न विनिर्माण उद्योगों की संरचना, वृद्धि और संगठन में होने वाले परिवर्तनों की गतिशीलता के बारे में उत्पादन, सकल मूल्य वर्धन, रोजगार, पूंजी निर्माण तथा कई अन्य मापदंडों के संदर्भ में सार्थक जानकारी उपलब्ध कराना है।
- इसके आँकड़े नीति-निर्माण के लिए महत्वपूर्ण आधार के रूप में कार्य करते हैं, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के संकलन में सहायता करते हैं तथा विभिन्न मंत्रालयों की सूचना संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। साथ ही, ये हितधारकों को सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं।

प्रमुख निष्कर्ष

औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि

- भारत के औद्योगिक क्षेत्र में व्यापक वृद्धि हुई। कारखानों की संख्या 2.6% बढ़कर 2.7 लाख हो गई, जबकि कारखानों में रोजगार 7.3% बढ़कर 1.67 करोड़ हो गया।
- औसत कारखाना आय 5.3% बढ़कर ₹2.28 लाख हो गई, लेकिन झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य रहा जहाँ गिरावट दर्ज की गई। वहाँ औसत वेतन 5.2% घटकर ₹3.04 लाख रह गया।
- उत्तर प्रदेश औद्योगिक वृद्धि के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा। यहाँ कारखानों की संख्या 12.8% बढ़कर 24,964 हो गई और श्रमिकों की संख्या में 14% की वृद्धि हुई, जबकि मजदूरी में 6.7% की वृद्धि हुई।
- तमिलनाडु में कारखानों (41,221) और श्रमिकों (26.1 लाख) की संख्या सबसे अधिक रही।
- गुजरात में कारखानों की संख्या में मामूली 1% की गिरावट आई, जिससे राष्ट्रीय हिस्सेदारी घटकर 12.4% रह गई और मजदूरी में केवल 2% की वृद्धि दर्ज की गई।
- बिहार में बड़े राज्यों के बीच मजदूरी में सबसे अधिक 16.7% की वृद्धि हुई, हालांकि वहाँ कारखानों में कार्यरत श्रमिकों की संख्या में 2% की गिरावट आई।

सकल मूल्य वर्धन और रोजगार संबंधी आँकड़े

- सकल मूल्य वर्धन (GVA) ₹2458.3 हजार करोड़ से बढ़कर ₹2694.2 हजार करोड़ हो गया, जो औद्योगिक मूल्य वर्धन में निरंतर 9.59% की वृद्धि को दर्शाता है।
- 2024-25 में महाराष्ट्र ने सबसे अधिक GVA दर्ज किया, जिसके बाद गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश का स्थान रहा।
- पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार का विस्तार जारी रहा। पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों की अनुमानित संख्या ASI 2023-24 में 1.96 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 2.10 करोड़ हो गई, जिसमें 7.19% की वृद्धि हुई।
- तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा 2024-25 में विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या के मामले में पाँच प्रमुख राज्य रहे।

स्रोत: IE

राज्य और केंद्रीय करों एवं शुल्कों की प्रतिपूर्ति (RoSCTL) योजना

चर्चा में क्यों?

वस्त्र मंत्रालय ने परिधान/कपड़ों और मेड-अप्स के निर्यात के लिए RoSCTL योजना को मौजूदा दरों और प्रचलित नियमों के तहत 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक तीन महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा दिया है।

राज्य और केंद्रीय करों एवं शुल्कों की प्रतिपूर्ति (RoSCTL) योजना

- इसे वस्त्र मंत्रालय द्वारा 2019 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य ऐसी सभी अंतर्निहित राज्य और केंद्रीय करों एवं शुल्कों की प्रतिपूर्ति करना है, जो किसी अन्य योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।
- यह निर्यात को शून्य-दर वाला बनाने के सिद्धांत पर आधारित है, जिससे निर्यात किए गए उत्पादों में शामिल उन करों की वापसी सुनिश्चित होती है, जिनकी पहले प्रतिपूर्ति नहीं हुई है।
- यह वस्त्र निर्यात क्षेत्र के लिए एक प्रमुख सहायता तंत्र के रूप में कार्य करती है, जिससे विशेष रूप से MSME निर्यातकों को लाभ मिलता है, जो इसके लाभार्थियों का एक बड़ा हिस्सा हैं।
- यह भारत के परिधान और मेड-अप्स निर्यात की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाती है।

प्रगति और महत्व

- इस योजना से 2025-26 के दौरान 444 से अधिक जिलों में लगभग 15,400 निर्यातकों को सहायता मिली, जिनमें अधिकांश लाभार्थी MSME हैं।

- योजना का व्यापक भौगोलिक विस्तार विकेंद्रित विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने तथा छोटे और मध्यम निर्यातकों की वैश्विक बाजारों में भागीदारी बढ़ाने में इसके महत्व को रेखांकित करता है।
- योजना के विस्तार से निर्यातकों के लिए नीति की निरंतरता और पूर्वानुमेयता को बढ़ावा मिलेगा तथा बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा वाले व्यापारिक वातावरण में भारत के श्रम-प्रधान और मूल्य-वर्धित वस्त्र एवं मेड-अप्स क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने में सहायता मिलेगी।

स्रोत: PIB

आसियान-भारत समुद्री अभ्यास (AIME-2026)

चर्चा में क्यों?

आसियान-भारत समुद्री अभ्यास (AIME-2026) का दूसरा संस्करण फिलीपींस के सुबिक बे में शुरू हुआ।

आसियान-भारत समुद्री अभ्यास

- यह भारत और आसियान देशों की समुद्री सेनाओं को पेशेवर, परिचालन और सामाजिक गतिविधियों के लिए एक साथ लाता है, जिसका उद्देश्य आपसी समझ, सहयोग और अंतर-संचालनीयता को बढ़ाना है।

प्रमुख विशेषताएँ

- बंदरगाह चरण में पेशेवर, परिचालन और सामाजिक गतिविधियों की एक श्रृंखला शामिल होगी, जिसमें विषय विशेषज्ञों के बीच विचार-विनिमय, खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ, सामुदायिक सहभागिता और परिचालन समन्वय शामिल हैं। इसके बाद समुद्री चरण शुरू होने से पहले समुद्र-प्रस्थान पूर्व जानकारी-सत्र आयोजित किया जाएगा।
- अभ्यास इसके बाद समुद्री चरण में प्रवेश करेगा, जिसमें भाग लेने वाली समुद्री सेनाएँ समन्वित समुद्री अभ्यास और परिचालन गतिविधियाँ करेंगी।
- समुद्री चरण का उद्देश्य व्यावहारिक प्रशिक्षण और समुद्र में समन्वित गतिविधियों के माध्यम से पेशेवर समझ, परिचालन समन्वय और अंतर-संचालनीयता को बढ़ाना है।

महत्व

- AIME-2026 में INS सहाद्री और INS कुठार की भागीदारी भारतीय नौसेना की समुद्री साझेदारियों को मजबूत करने और ASEAN की समुद्री सेनाओं के साथ व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने की निरंतर प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

- यह अभ्यास भारत की एकट ईस्ट नीति और MAHASAGAR (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक एवं समग्र उन्नति) के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए आयोजित किया जा रहा है।

स्रोत : PIB

सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि

चर्चा में क्यों?

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि को मंजूरी दी है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)

- सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर 22 अनिवार्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) घोषित करती है। इसमें संबंधित राज्य सरकारों तथा केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के विचारों को भी ध्यान में रखा जाता है।
- इसके अतिरिक्त, तोरिया और छिलका उतरे नारियल का MSP क्रमशः सरसों एवं रेपसीड तथा खोपरा के MSP के आधार पर निर्धारित किया जाता है।



MSP के निर्धारण के कारक

- CACP महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करता है, जैसे—उत्पादन की लागत, घरेलू और वैश्विक बाजारों में विभिन्न फसलों की समग्र मांग-आपूर्ति की स्थिति, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कीमते, फसलों के बीच मूल्य समानता, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें, मूल्य नीति का अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव तथा उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत का लाभांश।



स्रोत : TH

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

सन्दर्भ

- कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा है कि सामाजिक मीडिया पर जातिसूचक गालियाँ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों को लागू कर सकती हैं। न्यायालय ने कहा कि अधिनियम के अंतर्गत “सार्वजनिक दृष्टि” को केवल भौतिक स्थानों तक सीमित नहीं किया जा सकता।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के बारे में

- इस अधिनियम का उद्देश्य अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचारों को रोकना है।
- यह पीड़ितों की सुरक्षा के लिए विशेष न्यायालयों और उपायों का भी प्रावधान करता है।
- यह अधिनियम जाति-आधारित दुर्व्यवहार से लेकर सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार तथा हिंसा तक के अपराधों को शामिल करता है।
- कानूनी प्रावधान: SC/ST अधिनियम की धारा 3(1)(r) और 3(1)(s) किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के

सदस्य को जाति के नाम से जानबूझकर अपमानित, डराने या गाली देने को अपराध बनाती हैं, यदि यह कृत्य “सार्वजनिक दृष्टि में किसी भी स्थान पर” किया गया हो।

‘सार्वजनिक दृष्टि’ की न्यायिक व्याख्या

- हिमांशु वर्मा बनाम उत्तराखंड राज्य (2020): सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि “सार्वजनिक दृष्टि” से आशय ऐसे स्थान से है जहाँ जनता के सदस्य कथित कथन को देख या सुन सकते हों।
- सूरज वी. सुकुमार बनाम केरल राज्य (2022): केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि SC/ST अधिनियम की व्याख्या तकनीकी नवाचारों के संदर्भ में की जानी चाहिए।
- न्यायालय ने कहा कि इंटरनेट सामग्री की उपलब्धता और उसके प्रसार के कारण सार्वजनिक दृष्टि की अवधारणा डिजिटल क्षेत्र में भी लागू की जा सकती है।
- रामकृष्ण चौहान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2026): सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि किसी कथित जाति-संबंधी घटना का केवल विद्यालय परिसर में घटित होना सार्वजनिक दृष्टि की आवश्यकता को पूरा नहीं करता।
- उन परिस्थितियों की जाँच करना आवश्यक है जिनमें कथित टिप्पणियाँ की गईं तथा यह भी देखना आवश्यक है कि क्या उन्हें जनता के सदस्यों ने देखा या सुना था।

स्रोत: IE

कॉरपोरेट औसत ईंधन अर्थव्यवस्था (CAFE-3)

मानदंडों का तीसरा चरण

सन्दर्भ

- केंद्र सरकार ने यात्री वाहनों के लिए कॉरपोरेट औसत ईंधन अर्थव्यवस्था (CAFE-3) मानदंडों के तीसरे चरण को अधिसूचित किया है, जो 1 अप्रैल 2027 से 31 मार्च 2032 तक प्रभावी होंगे।

CAFE मानदंड क्या हैं?

- कॉरपोरेट औसत ईंधन अर्थव्यवस्था (CAFE) मानदंड किसी वाहन निर्माता के यात्री-वाहन बेड़े की औसत ईंधन खपत और CO₂ उत्सर्जन को नियंत्रित करते हैं, न कि प्रत्येक व्यक्तिगत वाहन के लिए समान दक्षता आवश्यकता निर्धारित करते हैं।
- इसका उद्देश्य निर्माताओं को अधिक ईंधन-कुशल और कम उत्सर्जन वाले वाहन बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे पेट्रोलियम की खपत और परिवहन क्षेत्र से होने वाले उत्सर्जन को कम किया जा सके।

नए मानदंड क्या हैं?

- नए मानदंडों के तहत ईंधन-खपत का मानक 2027-28 में 3.996 लीटर प्रति 100 किमी से घटाकर 2031-32 में 3.3273 लीटर प्रति 100 किमी किया जाएगा। यह पाँच वर्षों की अवधि में लगभग 16.7% सुधार दर्शाता है।
- नए मानदंड भारत में बिक्री के लिए निर्मित या आयात किए जाने वाले नए यात्री वाहनों पर लागू होंगे।
- कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता मानदंडों में 1,229 किलोग्राम को संदर्भ वाहन भार के रूप में उपयोग किया गया है।
- वाहन बेड़े की औसत ईंधन खपत की गणना संशोधित भारतीय ड्राइविंग चक्र (MIDC) का उपयोग करके की जाएगी और इसे प्रति 100 किमी पेट्रोल-समतुल्य लीटर में व्यक्त किया जाएगा।
- व्यक्तिगत मॉडलों के लिए ईंधन खपत की गणना उनकी अधिसूचित टेलपाइप CO₂ उत्सर्जन के आधार पर की जाएगी।
- CAFE-3 मानदंडों के तहत वाहन निर्माता निम्नलिखित को गिन सकते हैं:
- प्रत्येक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन या रेंज-विस्तारित इलेक्ट्रिक वाहन को 3 वाहनों के रूप में।
- प्रत्येक प्लग-इन हाइब्रिड या फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को 2.5 वाहनों के रूप में।
- प्रत्येक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को 1.6 वाहनों के रूप में।
- प्रत्येक फ्लेक्स-फ्यूल इथेनॉल वाहन को 1.1 वाहनों के रूप में, जब बेड़े की ईंधन दक्षता की गणना की जाएगी।

कार्बन तटस्थता कारक

- CAFE-3 में कार्बन तटस्थता कारक (CNFs) भी पेश किए गए हैं, जो जैव ईंधन और इथेनॉल मिश्रण के उपयोग के आधार पर पात्र वाहनों के घोषित CO₂ उत्सर्जन को कम करते हैं।
- E20 या उससे अधिक इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल वाहनों, जिनमें स्ट्रॉन्ग और प्लग-इन हाइब्रिड भी शामिल हैं, के लिए घोषित उत्सर्जन में 8% की कमी की जा सकती है।
- फ्लेक्स-फ्यूल इथेनॉल वाहनों के लिए 22.3% की कमी मिलेगी।
- CNG वाहनों के लिए कमी 5% या अधिसूचित संपीड़ित बायोगैस मिश्रण प्रतिशत, इनमें से जो अधिक हो, उसके बराबर होगी।
- डीजल वाहनों के लिए कमी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अधिसूचित वास्तविक जैव ईंधन-मिश्रण प्रतिशत के अनुरूप होगी।

स्रोत: TH

‘बीमलाइन फॉर स्कूल्स’ प्रतियोगिता

सन्दर्भ

- भारतीय स्कूली विद्यार्थियों का एक समूह ‘बीमलाइन फॉर स्कूल्स’ प्रतियोगिता के 13वें संस्करण की पाँच विजेता टीमों में शामिल है।

‘बीमलाइन फॉर स्कूल्स’ प्रतियोगिता

- यह विश्वभर के उच्च विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए भौतिकी की एक प्रतियोगिता है, जिसका आयोजन यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन (CERN) द्वारा किया जाता है।
- बीमलाइन एक ऐसी सुविधा है जो उच्च-ऊर्जा वाले उपपरमाण्विक कणों के प्रवाह उपलब्ध कराती है, जिनका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग करने के लिए किया जा सकता है।
- टीम ने पायन आवेश विनिमय का अध्ययन करने के लिए एक प्रयोग प्रस्तावित किया। इसका अर्थ यह अध्ययन करना है कि लिथियम और बेरिलियम जैसे हल्के परमाणुओं के साथ अंतःक्रिया करते समय कोई आवेशित पायन कितनी बार एक उदासीन पायन में परिवर्तित होता है।
- पायन उपपरमाण्विक कण हैं, जिनमें धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य विद्युत आवेश हो सकता है।

CERN

- CERN कण भौतिकी अनुसंधान के लिए दुनिया के प्रमुख केंद्रों में से एक है।
- स्थान: जिनेवा, स्विट्जरलैंड के निकट, फ्रांस-स्विट्जरलैंड सीमा पर।
- स्थापना: 1954 में, यूरोप में मौलिक वैज्ञानिक अनुसंधान में शांतिपूर्ण सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से।
- CERN का संचालन सदस्य देशों द्वारा किया जाता है। प्रत्येक सदस्य देश CERN परिषद में दो आधिकारिक प्रतिनिधि भेजता है।
- CERN परिषद संगठन का सर्वोच्च प्राधिकरण है और सभी महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए जिम्मेदार है।
- इसकी सबसे प्रसिद्ध सुविधा लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर (LHC) है, जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली कण त्वरक है।
- 2012 में हिग्स बोसॉन की खोज में CERN ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस खोज ने हिग्स क्षेत्र के अस्तित्व के प्रमाण उपलब्ध कराए, जो उस तंत्र से संबंधित है जिसके माध्यम से मौलिक कण द्रव्यमान प्राप्त करते हैं।

स्रोत: TH

बॉन्ड प्रतिफल

सन्दर्भ

- 30-वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड का प्रतिफल लगभग 25 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया।

परिचय

- बॉन्ड एक निवेशक द्वारा सरकार या कंपनी को दिया गया ऋण होता है। इसके बदले निवेशक को ब्याज प्राप्त होता है।
- प्रतिफल (Yield) उस निवेश पर मिलने वाले रिटर्न को दर्शाता है, जिसकी अपेक्षा कोई ऋणदाता किसी निश्चित अवधि के लिए सरकार को धन उधार देते समय कर सकता है।
- बॉन्ड की कीमत और प्रतिफल का विपरीत संबंध होता है; जैसे- जैसे बॉन्ड की कीमत बढ़ती है, सामान्यतः उसका प्रतिफल घटता है।

बॉन्ड प्रतिफल में वृद्धि के कारण

- अमेरिकी सरकार बड़ी मात्रा में ऋण ले रही है और निवेशक महंगाई तथा भविष्य की ब्याज दरों को लेकर भी चिंतित हैं।
- इसलिए वे अमेरिकी सरकार को लंबी अवधि के लिए धन उधार देने के बदले अधिक रिटर्न की मांग करते हैं।

प्रतिफल में वृद्धि के प्रभाव

- यह अमेरिकी सरकार के लिए उच्च उधारी लागत का संकेत देता है। यदि मौजूदा बॉन्ड पर प्रतिफल बढ़ रहा है, तो अमेरिकी सरकार को अपने ऋण पर अधिक ब्याज देना पड़ता है।
- बढ़ता हुआ अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल अन्य देशों को भी प्रभावित कर सकता है। चूँकि अमेरिकी सरकारी बॉन्ड वैश्विक वित्तीय बाजारों के लिए एक महत्वपूर्ण मानक हैं, इसलिए उच्च अमेरिकी प्रतिफल वैश्विक निवेश प्रवाह, मुद्राओं, ब्याज दरों और शेयर बाजारों को प्रभावित कर सकता है।

स्रोत: IE

